# न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त कटारा ,आर0ए0एस0

मुकदमा न0 157 / 2010

तारीख रजू 26.11.2010

1– श्रीमति सोमोती देवी पत्नि श्री मूलचंद जाति मीना निवासी जीवली तहसील गंगापुरसिटी जिला स0माधोपुर

2–मनोहरी पुत्र हाबूडया जाति बैरवा निवासी जीवली तहसील गंगापुरसिटी जिला स0माधोपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1–.सरकार जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर ) सवाई माधोपुर

2–आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136ले0रे0 एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री गोविन्दप्रसाद गुप्ता – वकील प्रार्थीगण

पैरोकार सरकार – वकील –अप्रार्थीगण

## संशोधित आदेश

दिनांक: 27.11 .2017

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 02.08.17की पालना तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा कराने पर उन्होने अपने पत्र कमांक :भू.अ./2111 दिनांक 21.11.17 द्वारा अवगत कराया है कि पूर्व आदेश जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.17को जारी किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने के कारण पालना नही की जा सकी है । अतः संशोधित आदेश निम्न प्रकार से जारी किया जाता है ।

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम ,1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी साबिक खसरा नंबर 582 / 2018एवं 582 / 2019 कुल रकबा एक बीघा 7विस्वा वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर में से आबादी परिवर्तित 750 वर्गगज खातेदार सूरजमल से दिनांक 04.01.91 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था । उक्त खसरा नम्बरान मे से बची हुई 17विस्वा कृषि को प्रार्थी नंबर दो मनोहरी बैरवा ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.02.91के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा नींव खुदवा कर एक पुख्ता कमरा निर्माण कर लिया गया । तहसील का भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड मौके पर तथा कब्जे के अनुसार तैयार नही किया गया । खसरा नंबर 582 / 2018एवं 582 / 2019 कुल रकबा रकबा एक बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर जो एक ही साथ है को पूर्व खसरा नंबर की जगह नये खसरा नम्बरो में 587व खसरा नंबर 588 की आराजी की खातेदारी दर्शायी है तथा नये नक्शानुसार खसरा नंबर 457,487, 502, 523, 536, 537, 548, 549,550, 568, 569, 572, कुल किता 12 कुल रकबा 2.40है0 है में अन्य खातेदारान के साथ बता दी है ।जबकि प्रार्थीगण की पृथक से खातेदारी को अन्य खातेदारान के साथ आराजी के साथ जमाबंदी में नाम जोडने का कोई कानूनन अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को नही था, जिससे यह भी स्पष्ट नही होता है कि कौनसा खसरा नंबर किसका है जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है ।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इस प्रकार आबादी में परिवर्तित हुई भूमि तथा मौके पर निर्माणशुदा कब्जे की भूमि को मौजूदा स्थान से काफी दूर अन्य भिन्न जगह नक्शा व ट्रेसशीट में दर्शा देने से वाद का कारण उत्पन्न हुआ।

वाके ग्राम सैलू का टापरा ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर में स्थित वादीगण के साविक खसरा नंबर 582/2018 रकबा 12 विस्वा एवं खसरा नंबर 582/2019 रकबा 15विस्वा कुल किता 2कुल रकबा 1बीघा 7विस्वा के स्थान पर नई नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये खसरा नंबर 587 एवं 588 के दक्षिणी तरफ मुख्य सडक की तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान कर रिकार्ड को दुरूस्त करवाया जावे । साथ ही प्रार्थीगण के साबिक खसरा नंबर 582/2018रकबा 12विस्वा तथा खसरा नंबर 582/2019 रकबा 15विस्वा कुल एक बीघा 7विस्वा के जो भी नवीन नम्बर मौजूदा जगह के अलावा जहां भी बने हो उन्हे प्रार्थीगण की खातेदारी से कम किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नगरपरिषद सवाई माधोपुर को पक्षकार बनाया गया ।नगरपरिषद सवाई माधोपुर से भी जवाब प्राप्त हुआ उसमें अंकित किया है कि वादी एवं जिन खातेदारो के नम्बर आपस में एक दूसरे के कब्जे में है उन्हे राजस्व रिकार्ड के सुधार करवाने के लिए उन्हे कार्यवाही करनी चाहिए तथा नगर परिषद स0माधोपुर की किसी भी खातेदारी भूमि पर वादीगण को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 2 नगर परिषद स0मा0 की हद तक खारिज फरमाया जावे ।

तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौके की रिपोर्ट मंगवाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उनके पत्रांक :भ.अभि/136/2011/1462दि0 23.11.11 तथा पत्राकःभू.अभि./2017/558दिनांक 20.03. 2017,द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की है । मुताबिक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रार्थी नंबर एक श्रीमति सोमोती देवी पत्नि श्री मूलचंद मीना ने साबिक खसरा नंबर 582/2018व 582/2019 रकबा एक बीघा 7 विस्वा मे से आबादी परिवर्तन 750वर्गगज खातेदार सूरजमल से दिनांक 04.01.91 को व 750वर्गगज खातेदार रामशरण बैरवा से दिनांक 01.02.91को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया जिसका नामा0 संख्या 331,332 दिनांक 1.12.2000 स्वीकार हुआ । ग्राम आलनपुर के साबिक खसरा नंबर 582/2018व 582/2019मे 1500वर्गगज के पश्चात बची हुई भूभि सूरजमल व रामशरण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.91को मनोहरी पुत्र हाबूडया बैरवा ने खरीद की जिसका नामा0 संख्या 330 दिनांक 01.12.2000 को स्वीकार हुआ । वादीगण सोमोती देवी व मनोहरी के द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरान पर एक कमरा बना रखा है एवं बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा कर रखा है ।

जमाबंदी संवत 2044—2047के खाता संख्या 336 पर अंकित नोट नामा0 संख्या 330,331,332के अनुसार साबिक. खसरा नंबर 582/2018व 582/2019 में 1500वर्गगज श्रीमति सोमोती देवी पत्नी मूलचंद व शेष रकबा मनोहरी पुत्र हाबूडया बैरवा के नाम दर्ज है । वर्तमान जमाबंदी संवत 2070—73 पर खसरा नंबर 457,487, 502,523,536,537,548,549,550,568,569,572,कुल किता 12 कुल रकबा 2.40है0 में प्रार्थीगण के हिस्से में दर्ज किया गया है जिस पर कब्जा नही होकर नवीन खसरा नंबरा 587व 588 रकबा 0.35 है0 पर कब्जा है खसरा नंबर 587 रकबा 1.44 व 588 रकबा 0.85है0 कुल 2.29है0 वर्तमान में प्रेमचंद पुत्र प्रहालाद वर्मा निवासी

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

खेरदा हिस्सा 164/229 ,केसरा पुत्र रामदेवा जाति बैरवा हिस्सा 16/229 सिवायचक नगरपालिका सवाई माधोपुर हि0 49/229 के नाम दर्ज है ।उपरोक्तानुसार गत खसरा नंबर 582/2018 व 582/2019 रकबा 1बीघा 7 विस्वा के बजाय नवीन खसरा नंबर 587व 588 में सिवायचक नगरपालिका के नाम दर्ज रकबा 0.49है0 में से 0.35है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना व खसरा नंबर 457, 487,502,523,536,537,548,549,550,568,569,572,में से प्रार्थीगण का नाम हटाया जाना उचित है अंकित किया है

हमने उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार स0माधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । तहसीलदार सवाई माधोपुर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि गत खसरा नंबर 582/2018व 582/2019 रकबा 1बीघा 7विस्वा के बजाये खसरा नंबर 587व 588 में जो सिवायचक नगर पालिका के नाम दर्ज रकबा 0.49है0 मे से 0.35है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना व खसरा नंबर 457, 487,502,523,536,537,548,549,550,568,569,572 में से प्रार्थीगण के नाम दर्ज हिस्सा हटाया जाना उचित बताया है ।

अतः तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नंबर 587, 588 जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक नगरपालिका दर्ज हो रहे है जिसका कुल रकबा 0.49है0है मे से 0.35हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने व खसरा नंबर 457, 487,502,523,536,537,548,549,550,568,569,572 वाके ग्राम आलनपुर जो प्रार्थीगण की सहखातेदारी मे दर्ज हो रहा है में से प्रार्थीगण के नाम दर्ज हिस्सा हजफ किया जाकर 0.35है0 भूमि सिवायचक नगर पालिका के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है तहसीलदार सवाई माधोपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जि... सवाई माधोपुर
(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उप ज़िला कलेक्टर
सवाई माधोपुर